न्यायाधीश पर कर्मचारी को बंधक बनाकर घरेलू काम कराने का आरोप

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने पुलिस की ओर से मेहरा की मौत को आत्महत्या बताने को पूरी तरह से नकार दिया

जयपुर, (का.सं.)। पुलिस की ओर से न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत को आत्महत्या बताने को राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने पूरी तरह नकारते हुए एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन अधिकारी के घर पर ही सुभाष ने आत्मदाह किया था।

कर्मचारी संघ की ओर से कहा गया है कि एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश कोर्ट के सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा को जबरन अपने घर रखते थे और उससे कपड़े-बर्तन धोना, खाना बनाना और शौचालय की सफाई आदि कराने का काम कराते थे। न्यायाधीश उसे घर पर बंधक बनाकर रखते थे और उसे कभी कोर्ट नहीं आने देते थे। घटना से कुछ दिन पहले सुभाष प्रताड़ित होकर अपने घर चला गया था। जहां उसने परिजनों को वापस नौकरी पर नहीं जाने की बात कही थी। इस पर न्यायाधीश ने सुभाष चौक थाना पुलिस के जरिए उसे घर से उठवाया था। राजस्थान कर्मचारी संघ ने पुलिस जांच का खंडन करते हुए कहा है कि सुभाष के हाथ पर चाकू के निशान थे, लेकिन चाकू बरामद नहीं किया गया। इसके अलावा उसके गुप्तांग पर भी चोट के निशान मिले थे।

- **संघ ने एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाये हैं**

वहीं उसके शव का पोस्टमार्टम बगरू में कराया गया और वहां आखिर तक न्यायाधीश वहां मौजूद क्यों रहे। कर्मचारी संघ की ओर से यह भी कहा गया है कि सुभाष के परिजनों को उसका बिना सिम का मोबाइल लौटाया गया, लेकिन सिम आज तक बरामद नहीं की गई। वहीं मृतक के भाई से पुलिस और न्यायिक अधिकारी ने दबाव में खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। पुलिस ने सुभाष को पूर्व में सुभाष चौक थाना पुलिस की ओर से घर से उठाने की जांच भी नहीं की। इसके अलावा घटनास्थल पर पुलिस और एफएसएल की टीम एक साथ उसके परिजनों से पहले कैसे पहुंच गई। ऐसे में यह हत्या का मामला है, जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। कर्मचारी संघ ने यह भी आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने चीफ जस्टिस को तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया है। कर्मचारियों ने गुहार लगाई है कि सीजे उनसे रजिस्ट्री की गैर मौजूदगी में मिलकर पक्ष सुने।

कोर्ट में कामकाज सुचारू कराने और आत्मदाह की जांच सीबीआई से कराने को लेकर पीआईएल पेश

जयपुर, (का.सं.)। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा के न्यायिक अधिकारी के आवास पर कथित आत्मदाह करने की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर निचली अदालत के कर्मचारी शुक्रवार को भी सामूहिक अवकाश पर रहे। वहीं अधिवक्ता पीसी भंडारी ने सामूहिक अवकाश खत्म कराने और मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की है। याचिका में प्रमुख गृह सचिव, पुलिस कमिश्नर, राजस्थान हाईकोर्ट और सीबीआई को पक्षकार बनाया गया है। जनहित याचिका पर खंडपीठ आगामी सप्ताह में सुनवाई कर सकती है।

याचिका में कहा गया कि पिछले 18 नवंबर से शहर की अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। वहीं करीब एक सप्ताह से प्रदेश की अदालतों के सभी कर्मचारी अवकाश पर हैं। जिसके चलते अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। मृतक की बहन ने भी संबंधित न्यायिक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट लोक अदालत लगाकर राजीनामे से मुकदमों का निस्तारण करती है, फिर इस मामले में कर्मचारी संघ के बातचीत कर समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। कोर्ट और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि जनता को न्याय से वंचित नहीं किया जाए, लेकिन बीते करीब 21 दिनों से काम नहीं हो रहा और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट और कर्मचारियों के बीच गतिरोध को दूर कर मामले की सीबीआई जांच कराई जाए।

नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज प्रतियोगिता में जयपुर की अशीरा विश्वास का चयन

जयपुर, (कासं)। नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज-2022 प्रतियोगिता में राजधानी जयपुर की अशीरा विश्वास का चयन किया गया है। विश्वास एसडीआरएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुष्मित विश्वास की पुत्री है।

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार का शनिवार को नार्वे की राजधानी ओस्लो में ऐलान किया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज-2022 प्रतियोगिता में विजेता घोषित होने पर अशीरा विश्वास को भी इस समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

नोबेल पीस सेंटर में द इग्निटर इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट मैनेजर ने अशीरा को नोबेल शांति पुरस्कार चुनौती के निबंध श्रेणी में फाइनलिस्ट के रूप में घोषित होने पर बधाई दी है। साथ ही उन्हें 10 दिसंबर को ओस्लो में आयोजित नोबेल शांति पुरस्कार समारोह से संबंधित प्रमुख गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। विश्वास को ओस्लो शहर के ग्रैंड होटल में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ ही ठहरने का अवसर मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि नोबेल शांति केंद्र की ओर से विश्व स्तर पर विद्यार्थियों को शांति पुरस्कार में शामिल करने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। निबंध या फोटोग्राफी श्रेणियों में से किसी एक विषय पर विश्वभर के विद्यार्थी भाग लेते है। इस वर्ष का विषय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, बंधुत्व और मानव अधिकारियों की सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालना था। अशीरा विश्वास को इस महत्वपूर्ण विश्वस्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार के लिये चुना गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली अशीरा संभवतः देश की पहली विजेता है। इस प्रतियोगिता को जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली अशीरा इस समय यूके की ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत है।

कलेक्टर ने आबादी विस्तार के लिए किया भूमि आवंटन, हाईकोर्ट का स्टे

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाइकोर्ट ने झुंझुनूं के नाटास गांव की जमीन को विवाद रहित बताकर उसे आबादी विस्तार के लिए ग्राम पंचायत को आवंटित करने के मामले में कलेक्टर, एसडीओ उदयपुरवाटी और तहसीलदार सहित अन्य से जवाब मांगा है।

इसके साथ ही अदालत ने भूमि पर यथा स्थिति बनाए रखने को कहा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेंद्र सिंह की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि आजादी से पहले यह भूमि बिसाऊ ठिकाने की थी। जहां से यह याचिकाकर्ता के दादा को वर्ष 1946 में मिली थी। इसके बाद से याचिकाकर्ता का परिवार इस जमीन पर खेती कर रहा है। याचिका में कहा गया कि झुंझुनूं कलेक्टर ने गत 10 मार्च को इस भूमि को विवाद रहित बताकर आबादी विस्तार के लिए इसे नाटास ग्राम पंचायत को आवंटित कर दी। जबकि यह भूमि विवाद रहित नहीं है और पंचायत को आवंटन के समय इस जमीन को लेकर कई कोर्ट केस चल रहे थे। ऐसे में इसे ग्राम पंचायत को आवंटित नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए मामले में यथास्थिति के आदेश दिए हैं।

अहंकार न करने की सीख दी

जयपुर। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्यय योजना के तहत आज नाटक 'मुगल बच्चा' का मंचन किया गया। इस व्यंग्यात्मक नाटक ने न केवल दर्शकों को हंसाया, बल्कि कई जगह भावुक करते हुए अहंकार न करने की सीख भी दी।

महमूद अली ने इस्मत चुगताई की कहानी का नाट्यय रुपांतरण कर न केवल निर्देशक की भूमिका निभाई बल्कि इस एकल नाट्यय प्रस्तुति में 11 किरदारों को मंच पर बखूबी साकार किया। नाटक के नाम में ही इसका सार छिपा है।

मेरिट में आने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर जवाब मांगा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 की मेरिट में आने और दस्तावेज सत्यापन के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार सहित संबंधित जिला परिषद से 13 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश हेमंत कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने एलडीसी भर्ती-2013 के खाली पदों पर अब पुनः भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। याचिकाकर्ता अभ्यर्थी भर्ती की कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में भी आए हैं। वहीं पंचायती राज विभाग के अधीन संबंधित जिला परिषद ने उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया।

इसके बावजूद एलडीसी के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए बनाई अंतिम चयन सूची में उन्हें बाहर कर दिया है। वहीं विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने का कारण भी नहीं बताया है। ऐसे में उन्हें अंतिम चयन सूची में शामिल कर खाली पदों पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

आजादी के बाद जी-20 का भारत के पीएम द्वारा नेतृत्व महत्वपूर्ण : मिश्र

राज्यपाल कलराज मिश्र ने जी-20 की तैयारी बैठक में ऑनलाइन भाग लिया।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को जी 20 की अध्यक्षता की तैयारी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में राजभवन से ऑनलाइन भाग लिया। बैठक में भाग लेने के बाद उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार जी 20 का भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और विरल अवसर है। उन्होंने इसे गौरवपूर्ण बताते हुए सभी के सहयोग से इसे सफल किए जाने का आव्हान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी 20 को सतत समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत की अध्यक्षता विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र की वैश्विक स्वीकार्यता है।

बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उदयपुर से जी 20 की शानदार शुरुआत हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर की सराहना को महती बताते हुए कहा कि भारत के लिए जी 20 की अध्यक्षता सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात हूं। सभी स्तरों पर इसे अभूतपूर्व रूप में सफल करने के प्रयास होंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जी 20 से जुड़े उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जी 20 की अध्यक्षता देश के लिए असाधरण अवसर है। जी 20 में दुनिया की 85 प्रतिशत जीडीपी वाले देश सम्मिलित हैं।

यज्ञ से शुरू हुआ लोकार्पण समारोह

जयपुर, (का.सं.)। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में 10 दिसंबर को होने वाले योग साधना भवन के लोकार्पण समारोह की शुरूआत वैदिक यज्ञ से हुई। कुलपति प्रो. रामसेवक दुबे ने मृगशिरा नक्षत्र में शुरू हुए यज्ञ में वैदिक एवं पौराणिक विधि से आहूतियां दी। वेद एवं पौरोहित्य विभाग के सहायक आचार्य डॉ. देवेंद्र कुमार शर्मा, शास्त्री कोसलेंद्रदास एवं डॉ. संदीप जोशी ने गणपति, गौरी, नवग्रह, वास्तु के साथ ही विष्णु पूजन संपन्न करवाया।

सेवा बर्खास्तगी का आदेश रद्द

जयपुर। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण ने दिगंबर जैन आदर्श महिला संस्कृत पीजी कॉलेज, महावीरजी की प्रबंध समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अपीलार्थी कॉलेज व्याख्याता को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। वहीं अधिकरण ने प्रबंध समिति को अपीलार्थी को बहाल करने और उसे वेतन भत्ते की 50 फीसदी राशि का भुगतान करने के लिए भी कहा है। अधिकरण ने यह आदेश डॉ. नेमचंद जैन की अपील पर दिए। अपील में कहा गया कि अपीलार्थी की नियुक्ति 31 जुलाई 1997 को इस अनुदानित शैक्षिक संस्थान में हुई थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अपीलार्थी पर लांछन लगाते हुए उसे 20 अप्रैल 2009 को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसे अधिकरण में चुनौती देते हुए कहा कि आदेश को रद्द कर बहाल किया जाए।

सूची जारी

जयपुर। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा पांचो विद्युत निगमों के जूनियर असिस्टेंट के 915 भर्ती पदों हेतु सफल अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी ओर से दिए गए विकल्प एवं मेरिट के आधार पर विद्युत निगम का आवंटन कर संबंधित निगमों को सफल अभ्यर्थियों का विवरण प्रेषित किया जा रहा है।

कार्यालय पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाडा

क्रमांक-पसहु/निर्माण/लेखा/2022-23/1461 दिनांक - 9/12/22

निविदा सूचना 09/2022

पंचायत समिति हुरडा के अधीन मे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के पन्द्रहवां वित आयोग योजना से कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा से संबंधित प्रपत्र एवं अन्य शर्ते वेब पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. ZBL2223WSOB01448

NIB No. ZBL2223A0650

ज्योति प्रजापति

विकास अधिकारी, पंचायत समिति हुरडा

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल: अजमेर

क्रमांक : 2062 दिनांक: 08/12/22

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास सैल्या 1-झ-22 आनासागर सरक्यूलर रोड़ अजमेर योजना में श्री शंकर सिंह पुत्र श्री भाग सिंह को आवंटित कर दिनांक 03.06.1978 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री शंकर सिंह पुत्र श्री भाग सिंह ने आवास का बैचान जरिए इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा के श्री नथरमल पुत्र श्री उधवदास को कर दिया गया। श्री नथरमल की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी स्व. श्री नथरमल के पक्ष में दिनांक 31.03.1995 को नियमितिकरण के आदेश जारी किये गये। श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी स्व. श्री नथरमल द्वारा दिनांक 31.03.1995 को उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयन करवा लिया गया हैं। श्रीमती मोहिनी देवी की मृत्यु दिनांक 17.03.2022 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री महादेव आसवानी पुत्र स्व. श्री नथूमल द्वारा वसीयतनामा/अन्तिम इच्छा पत्र प्रस्तुत कर मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अब श्री महादेव आसवानी पुत्र स्व. श्री नथूमल ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वंय के नाम हस्तांतरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं । श्री महादेव आसवानी पुत्र स्व. श्री नथूमल का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड अजमेर

LSG / BEAWAR/MUT/2022-23 / 39131 DATE - 03.11.2022 अन. रजि. वसीयत-नामा

LSG / BEAWAR/MUT/2022-23/39342 DATE - 11.11.2022 अन. रजि. वसीयत-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक / नगरीय विकास कर / 2022-23/9620 दिनांक 9/12/22

सार्वजनिक सूचना

श्री लक्ष्मण पुत्र स्व श्री बंशीलाल व श्री कैलाश पुत्र श्री बंशीलाल निवासी ब्यावर, ने क्षेत्र नं. 6 सुभाष नगर फतेहपुरिया दोयम प्लाट नं. 56 का भाग क्षेत्रफल 66.66 व क्षेत्र नं. 6 सुभाष नगर फतेहपुरिया दोयम प्लाट नं. 56 का भाग क्षेत्रफल 66.66 जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में उक्त सम्पति श्रीमति किशनी देवी पत्नि श्री बंशीलाल जी के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि. वसीयत - नामा दिनांक 03.05.2003, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 14.04. 2021 स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है । अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध मे किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नही होगी ।

आयुक्त नगर परिषद् ब्यावर

कार्यालय नगर पालिका आसीन्द जिला भीलवाडा राज.

कमांक : नपाआ/भू.शा./2022-23/4893 दिनांक 7/12/2022

प्ररूप - 5 (नियम (2) देखिए)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका अधिनियम, 2009 69-क के अधीन नीचे वर्णित निम्नांकित आवेदको ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि में अपने अधिकार आवासीय/व्यवसायिक पटटा प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर पालिका, आसीन्द के पक्ष में अभ्यर्पित कर दियें है ।

क. सं	नाम	पता	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	उत्तर दिशा दिशित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित (वर्ग फिट में)
1.	श्री रोशन लाल पुत्र श्री हरकचन्द	वार्ड नं 03 उपरली हवेली आसीन्द	लादू लाल गन्ना का मकान	आम रास्ता	महावीर सिंह चुण्डावत का मकान	आम रास्ता	1580
2.	श्रीमती सुगनादेवी पत्नि श्री मोहनलाल रेगर	वार्ड नं 11 गोविन्दपुरा आसीन्द	भैरू रेगर का मकान	देबीलाल रेगर का मकान	आम रास्ता	खाली प्लाट	2127.37
3.	श्री भंवर लाल पुत्र श्री श्रीराम गुर्जर	वार्ड नं 02 भैरू खेडा आसीन्द	शम्भूनाथ व नोरतनाथ का मकान	उगमा गुर्जर का मकान	स्वय का पट्टाशुदा प्लाट व रास्ता	रतन गुर्जर का मकान	4425

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69- क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस कार्यालय समय के दौराना अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत अवधि किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं हैं और मामले नियत अवधि के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदानुसार निपटारा/निस्तारण किया जायेगा ।

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका आसीन्द

कार्यालय ग्राम पंचायत मेड़िया, पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर

क्रमांक/ग्रापमे/भवाल मां/निलामी/22-23/247 दिनांक 9/12/2022

भव्य नीलामी कार्यक्रम

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 150 के तहत ग्राम शोभापुरा, ग्राम पंचायत मेडिया पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर के आबादी खसरा नम्बर 39, 40, 270/41 में अनुमोदित आवासीय योजना श्री जय भवाल मां नगर में आवासीय भूखण्डों का नीलामी कार्यक्रम निम्नानुसार रखा गया है। कृपया नीलामी में भूखण्ड खरीदकर लाभ उठाए धरोहर राशि 25000/-रुपये प्रति भूखण्ड

क. स.	भूखण्ड संख्या	क्षैत्रफल(वर्ग गज)	कॉर्नर या नॉन कॉर्नर	नीलामी बोली प्रारम्भ करने की दिनांक व समयः-	नीलामी समाप्त करने की दिनांक व समयः-
1	1	99.44	कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
2	2	98.23	नॉन कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
3	3	120.29	नॉन कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
4	4	117.52	नॉन कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
5	5	114.74	नॉन कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
6	6	111.97	नॉन कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
7	7	109.20	नॉन कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
8	8	106.43	नॉन कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
9	9	103.66	नॉन कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
10	10	100.89	नॉन कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
11	11	78.61	नॉन कार्नर	दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 11/01/2023 को सूर्यास्त तक
12	12	71.69	कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
13	13	160.90	नॉन कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
14	14	154.25	नॉन कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
15	15	116.67	कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
16	16	116.67	कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
17	17	127.31	नॉन कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
18	18	94.90	नॉन कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
19	19	116.67	कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
20	20	116.67	कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
21	21	104.72	नॉन कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
22	22	130.19	नॉन कार्नर	दिनांक 13/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 13/01/2023 को सूर्यास्त तक
23	23	97.22	कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
24	24	115.49	नॉन कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
25	25	88.50	कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
26	26	85.01	कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
27	27	83.33	नॉन कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
28	28	83.33	नॉन कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
29	29	83.33	नॉन कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
30	30	84.26	नॉन कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
31	31	94.78	नॉन कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
32	32	89.82	नॉन कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
33	33	89.85	नॉन कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
34	34	89.82	नॉन कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक
35	35	91.84	कार्नर	दिनांक 16/01/2023 प्रातः 11 बजे	दिनांक 16/01/2023 को सूर्यास्त तक

निलामी स्थलः-"श्री जय भवाल मां नगर" (साईट)

धरोहर राशि जमा कराने का दिनांक व समयः- दिनांक 10/01/2023 से पूर्व कार्यालय समय मे

नीलामी की मुख्य शर्ते

1. मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड का माप घट/बढ सकता है।
2. धरोहर राशि जमा कराने हेतु आवेदन पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत मेडिया से कार्यालय समय मे 20 रूपये आवेदन शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।
3. इच्छुक बोलीदाता निर्धारित दिनांक व समय तक 25000 रूपये प्रति भूखण्ड धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट ग्राम पंचायत मेडिया के नाम से ग्राम पंचायत मेडिया मे जमा करवाकर नीलामी बोली मे भाग ले सकता है।
4. बोली दाता द्वारा बोली लगाने पर स्वतः ही माना जाएगा कि उसे नीलामी की सभी शर्ते स्वीकार है।
5. जिस बोली दाता ने अंतिम सबसे उंची बाली लगा दी हो वह बोली की रकम का 10 प्रतिशत स्थल पर तुरन्त और 15 प्रतिशत 24 घण्टों के भीतर भीतर तथा अतिशेष 60 दिवस के भीतर जमा कराएगा।
6. नीलामी की कार्रवाई संचालन करने वाली नीलामी समिति को आवश्यकता अनुसार नीलामी का समय बढाने का अधिकार सुरक्षित है तथा नीलामी स्वतन्त्र एंव प्रतियोगीतात्मक नहीं पाई जाने पर नीलामी निरस्त कर सकते है।
7. भूखण्ड की नीलामी के वक्त भूखण्ड जिस हालत मे होगा उसी अनुसार नीलाम किया जाएगा एंव भूखण्ड का जो माप मौके पर होगा वही मान्य होगा।
8. बोलीदाता द्वारा प्रत्येक उच्चतम बोली पर 10 रुपये गुणांक मे बोली लगाई जानी आवश्यक होगी।
9. निलामी समिति को बिना कारण बताए नीलामी स्वीकृत एंव निरस्त करने के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
10. नीलामी से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी एंव मानचित्र आदि का अवलोकन कार्यालय ग्राम पंचायत मेडिया मे कार्यालय समय मे किया जा सकता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मेड़िया
पंचायत समिति जवाजा, अजमेर

(दीपू गहलोत) सरपंच
ग्राम पंचायत मेड़िया
पंचायत समिति जवाजा, अजमेर